तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/5/26

आदेश

प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए

अनवान सुमन बनाम छोटूराम आदि

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रश्नगत रकबा पर प्रार्थीया द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा ता फैसला चाही गई है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रश्नगत रकबा चक 1 बीएलडब्यलू के खाता सं. 25/27 प.न. 17/244 मु.न. 37 व प.न. 19/247 मु.न. 52 की कुल 2.972 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए है।

प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स. 1 ता 3 को जरिये नोटिस तामिल होने पर हाजिर नहीं होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया वाद पत्र में वादिया/प्रार्थीया द्वारा पैत्रक कृषि भूमि के संबंध में घोषणात्मक वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थीया के हक्कों के संबंध में निर्णय गुणोवगुण के आधार पर किया जाना है चुंकि प्रार्थीया के वाद पत्र में निर्णय से पूर्व प्रश्नगत रकबा में प्रार्थीया का यदि हक्क हिस्सा निहित है तो प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संन्तुलन साबित होता है एवं प्रश्नगत रकबा अन्तरण की स्थिति में प्रार्थीया को अपूर्णिय क्षति कारित हो सकती है इस लिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को चक 1 बीएलडब्यलू के खाता सं. 25/27 प.न. 17/244 मु.न. 37 व प.न. 19/247 मु.न. 52 की कुल 2.972 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि में रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाता है उक्त स्थगनादेश ता दावा ता फैसला निरन्तर किया जाता है। पत्राली में निर्णय शामिल हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।

B

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा